

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/एफ-4050/2024/ दिनांक :-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रुल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री गुरजन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. एफ. 3(1) डीओपी/ए-11/2013 दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में टंकण अर्हता परीक्षा से मुक्त रखने के फलस्वरूप प्रथम नियुक्ति तिथी 28.09.2021 से 27.09.2023 को परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 28.09.2023 से रु. 20800 (लेवल-5) में वेतन नियतन करते हुये कार्यग्रहण तिथी से कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

कार्मिक द्वारा आरएससीआईटी कम्प्युटर योग्यता परीक्षा दिनांक 22.12.2021 उत्तीर्ण कर ली गयी है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर
दिनांक :- 13/06/24

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/एफ-4050/2024/20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री गुरजन्त सिंह को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
7837812

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date :13-06-2024 10:17:35